# बिहार सरकार
# योजना एवं विकास विभाग
# संकल्प

विषय : "मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना" की संशोधित मार्ग–दर्शिका।

राज्य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के संतुलित क्षेत्रीय विकास के उद्देश्य से राज्य सरकार के द्वारा योजना एवं विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन "मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना" के नाम से एक बहुआयामी विकास योजना को वर्ष 2011–12 से लागू की गयी है जिसके मार्गदर्शिका को कार्यक्रम के कार्यान्वयन के क्षेत्रीय अनुभव के आधार पर निम्नरूपेण संशोधित किया जाता है।

## उद्देश्य

2. मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संतुलित क्षेत्रीय विकास लाने के लिए आधारभूत संरचनाओं का विकास है।

## योजना का प्रसार

3. यह योजना राज्य के सभी जिलों में लागू होगी।

## योजना का कार्य क्षेत्र

4. राज्य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र

## जिला चयन समिति

5. मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के लिए परियोजनाओं का चयन जिला स्तर पर गठित चयन समिति के द्वारा किया जायेगा।

(क) इस समिति के निम्नांकित सदस्य होंगे :–

(i) जिला के प्रभारी मंत्री – अध्यक्ष

(ii) जिला के सभी विधान सभा सदस्य – सदस्य

(iii) वैसे विधान परिषद के सदस्य जिसका निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित नहीं है, वे राज्य के किसी एक जिला को इस कार्यक्रम के लिए चयनित करेंगे। यदि विधान परिषद के ऐसे सदस्य निर्धारित तिथि तक जिला का चयन नहीं कर पाते है तो वैसी स्थिति में उस जिला को इस कार्यक्रम के लिए चयनित माना जायेगा जिस जिला के मतदाता सूची में उनका नाम होगा।

(iv) उन विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र राज्य के कई जिलों में विस्तारित होगा, उनसे जिलावार अनुशंसित राशि का प्रतिशत प्राप्त किया जा सकेगा। यदि जिलावार प्रतिशत निर्धारित तिथि तक प्राप्त नहीं हो पाता है तो निर्वाचन क्षेत्र में आने वाले जिलों की जनसंख्या के अनुसार राज्य स्तर पर राशि विभाजित कर संबंधित जिलों को प्राप्त करायी जायेगी। संबंधित विधान परिषद् सदस्य उक्त सीमा तक योजनाओं की अनुशंसा कर सकेंगे।

(नोटः 1. जिला का चयन पूरे कार्यकाल में एकबार बदला जा सकेगा।

2. संबंधित सदस्य जिले के चयन की सूचना योजना एवं विकास विभाग के द्वारा निर्धारित तिथि तक विभाग को उपलब्ध करा देंगे।)

(v) राज्य सरकार द्वारा मनोनीत अधिकतम तीन गैर सरकारी सदस्य – सदस्य

(vi) जिला पदाधिकारी – सदस्य सचिव

(vii) जिला योजना पदाधिकारी – संयोजक

(ख) इस समिति के निम्नांकित आमंत्रित सदस्य होंगे :–

(i) उप विकास आयुक्त

(ii) जिला कार्यक्रम पदाधिकारी

(iii) संबंधित प्रमण्डल के क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी

(iv) संबंधित जिला के स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संभाग के सभी कार्यपालक अभियंता

(v) जिला पंचायती राज पदाधिकारी

(ग) जिला पदाधिकारी किसी अन्य पदाधिकारी को भी किसी बैठक में अध्यक्ष की अनुमति से आवश्यकता पड़ने पर भाग लेने के लिए आमंत्रित कर सकेंगे।

(घ) जिला चयन समिति में सदस्य के रुप में माननीय मुख्यमंत्री/उप मुख्यमंत्री/विधान परिषद् के सभापति/विधान सभा के अध्यक्ष/मंत्रीगण/विधान परिषद् के उप सभापति/विधान सभा के उपाध्यक्ष समिति की बैठक में स्वयं के भाग नहीं लेने की स्थिति में बैठक में भाग लेने के लिए अपना प्रतिनिधि नामित कर सकेंगे।

(च) समिति के किसी भी सदस्य की अनुपस्थिति/रिक्ति के कारण बैठक की कार्यवाही बाधित नहीं होगी।

## योजनाओं का चयन

6. मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित योजनाओं का कार्यान्वयन कराया जाएगा :–

1. भवनहीन पंचायत सरकार भवनों का निर्माण
2. भवनहीन आंगनवाड़ी केन्द्र भवनों का निर्माण
3. गोदाम का निर्माण
4. गली एवं नाली का निर्माण
5. सामुदायिक भवन, सार्वजनिक बस पड़ाव, यात्री शेड, सार्वजनिक पुस्तकालय आदि का निर्माण
6. नदी एवं सार्वजनिक तालाबों में घाट का निर्माण
7. हाट एवं मेला स्थलों का विकास

8. कला मंच / खेल के मैदान का निर्माण
9. सार्वजनिक चबूतरा का निर्माण
10. अन्य योजनाएँ, जो समय–समय पर सरकार द्वारा निदेशित हों

## चयन के सिद्धान्त

7. जिला स्तर पर योजनाओं के चयन के लिए मुख्यतः निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धान्त होंगे:–

1. इस कार्यक्रम के तहत प्रति विधान सभा, सदस्य एक करोड़ रूपये की सीमा तक की योजनाओं की अनुशंसा करेंगे।
2. इस कार्यक्रम के तहत प्रति विधान परिषद् सदस्य भी एक करोड़ रूपये की सीमा तक की योजनाओं की अनुशंसा कर सकेंगे।
3. विधान परिषद् के उन निर्वाचित सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र राज्य के कई जिलों में विस्तारित होगा उनसे जिलावार अनुशंसित राशि का प्रतिशत प्राप्त किया जायेगा। यदि जिलावार प्रतिशत 15 जून तक प्राप्त नहीं हो पाता है तो निर्वाचन क्षेत्र में आने वाले जिलों की जनसंख्या के अनुसार विभाजित राशि के अनुरूप उनसे जिलावार अनुशंसा प्राप्त की जा सकेगी।
4. वैसे विधान परिषद् सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित नहीं है, वे राज्य के किसी एक जिला को इस कार्यक्रम के लिए चयनित करेंगे। यदि विधान परिषद् के ऐसे सदस्य 15 जून तक जिला का चयन नहीं कर पाते हैं तो वैसी स्थिति में उस जिला को इस कार्यक्रम के लिए चयनित माना जायेगा जिस जिला की मतदाता सूची में उनका नाम होगा। तदनुसार ऐसे सदस्य उक्त चयनित जिला के लिए प्रति वर्ष एक करोड़ रूपये की सीमा तक की योजनाओं की अनुशंसा हेतु सक्षम होंगे।
5. 30–बेलसण्ड विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के परसौनी और बेलसण्ड प्रखण्ड सीतामढ़ी जिला के भाग हैं तथा इसी विधानसभा क्षेत्र का तीसरा तरियानी प्रखण्ड शिवहर जिला के अंतर्गत आता है। अतः इस स्थिति में 30–बेलसण्ड विधानसभा क्षेत्र के माननीय सदस्य सीतामढ़ी एवं शिवहर दोनों जिलों के लिए जिला चयन समिति के सदस्य के रूप में नामित रहेंगे तथा उनसे जिलावार योजनाओं की अनुशंसा प्राप्त की जायेगी।

## निधि का आवंटन

8. जिला को निम्न सिद्धान्त के आधार पर निधि का आवंटन किया जायेगा।

1) इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रति विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र वार एक करोड़ रूपये प्रति वर्ष का आवंटन देय होगा।
2) विधान परिषद् के निर्वाचन क्षेत्रवार एक करोड़ रूपये प्रति वर्ष का आवंटन देय होगा।

3) विधान परिषद् के उन निर्वाचित सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र राज्य के कई जिलों में विस्तारित होगा उनसे जिलावार अनुशंसा के आलोक में आवंटित राशि का प्रतिशत निर्धारित किया जायेगा। यदि जिलावार प्रतिशत 15 जून तक प्राप्त नहीं हो पाता है तो निर्वाचन क्षेत्र में आने वाले जिलों की जनसंख्या के अनुसार विभाजित राशि के अनुरूप आवंटन दिया जायेगा।

4) वित्तीय वर्ष 2012–13 में पूववर्ती वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए इसी सिद्धान्त पर राशि आवंटित कर संबंधित कार्य प्रमण्डलों को उपावंटित की जायेगी।

5) वैसे विधान परिषद् सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित नहीं है, वे राज्य के किसी एक जिला को इस कार्यक्रम के लिए चयनित करेंगे। यदि विधान परिषद् के ऐसे सदस्य 15 जून तक जिला का चयन नहीं कर पाते हैं तो वैसी स्थिति में उस जिला को इस कार्यक्रम के लिए चयनित माना जायेगा जिस जिला की मतदाता सूची में उनका नाम होगा। तदनुसार उक्त चयनित जिला को प्रति वर्ष एक करोड़ रूपये का आवंटन दिया जायेगा।

6) बेलसण्ड विधानसभा क्षेत्र के लिए आवंटन सीतामढ़ी एवं शिवहर दोनों जिला को आवंटित होगी। आवंटन का जिलावार प्रतिशत बेलसण्ड विधानसभा क्षेत्र के सदस्य के द्वारा अनुशंसित राशि के आधार पर होगा। यदि जिलावार प्रतिशत 15 जून तक प्राप्त नहीं हो पाता है तो निर्वाचन क्षेत्र में आने वाले जिलों की जनसंख्या के अनुसार विभाजित राशि के अनुरूप आवंटन दिया जायेगा।

7) संबंधित कार्य प्रमण्डल, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन को निधि का आवंटन उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार समेकित रूप में किया जायेगा।

## विशेष योजना

9. राज्य सरकार विशेष परिस्थिति में आवश्यकतानुसार इस कार्यक्रम के अंतर्गत योजनाओं के चयन, स्वीकृति एवं कार्यान्वयन के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं/प्रावधानों को शिथिल करते हुए किसी योजना के लिए बजटीय उपबंध के अंतर्गत राशि उपाबंटित कर सकेगी। इस राशि का आवंटन मुख्यमंत्री की स्वीकृति से किया जा सकेगा।

## योजनाओं के कार्यान्वयन की पद्धति

10. इस योजना का कार्यान्वयन निम्न प्रकार किया जायेगा :–

1) प्रत्येक विधानमण्डल सदस्य योजना कार्यों की अनुशंसा विधान मण्डल के पत्र शीर्ष पर विधिवत रूप से हस्ताक्षर करके भेजेंगे।

2) विधान मण्डल सदस्यों के प्रतिनिधि (प्रतिनिधियों) द्वारा की गई अनुशंसा अनुमान्य नहीं होगी।

3) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक विधानमण्डल सदस्यों के द्वारा 125 प्रतिशत तक की वार्षिक सीमा के अधीन अनुशंसा की जा सकेगी परन्तु जिला चयन समिति अंतिम रूप में वार्षिक सीमा तक ही योजनाएँ पारित कर सकेगी।

4) इस योजना के अंतर्गत विभाग को प्राप्त बजटीय उपबंध के आलोक में जिलों को वार्षिक निधि उपलब्धता की सूचना दे दी जायेगी।

5) इस योजना के कार्यान्वयन के लिए एक अभियंत्रण संभाग गठित है।

6) इस योजना के अन्तर्गत राशि स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन को आवंटित की जायेगी।

7) जिला चयन समिति अगले वित्तीय वर्ष से प्रतिवर्ष जनवरी माह के प्रथम पक्ष में अपनी बैठक कर संसूचित राशि के अनुसार अगले वर्षों के लिए योजनाओं का चयन कर लेगी । योजनाओं के चयन के बाद उनकी सूची जिला स्तरीय अभियंत्रण संभाग के प्रभारी को सौंप देगी जो उनका प्राक्कलन अधिकतम दो माह के अन्दर तैयार करेगी।

8) इन योजनाओं का कार्यान्वयन बिहार लोक निर्माण के प्रावधानों के आधार पर किया जायेगा।

9) जिला चयन समिति की सहमति के बिना अनुशंसित कार्य एवं कार्य के निष्पादन के लिए चयनित कार्य स्थल को बदला नहीं जाएगा।

10) विधान मंडल सदस्यों से अनुशंसित सभी योजनाओं की अनुशंसा प्राप्त होने की तिथि से यथा संभव सात कार्य दिवसों के अन्दर जिला योजना पदाधिकारी के द्वारा स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के कार्य प्रमंडल को प्राक्कलन तैयार करने हेतु भेजा जायेगा। कार्यकारी एजेंसी के द्वारा यथा संभव 15 दिनों की अवधि के भीतर प्राक्कलन जिला योजना कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। विशेष प्रकृति की योजना जिसके प्राक्कलन के साथ सामग्रियों की प्रयोगशाला जॉच अथवा सर्वे आदि प्रतिवेदन सन्निहित होंगी उनका प्राक्कलन यथासंभव एक माह में तैयार कराया जाय। कार्यकारी एजेंसी के द्वारा सामान्यतया प्राक्कलन इस प्रकार से तैयार किया जायेगा जिससे योजना का समग्र रूप से लोकहित में उपयोग हो सके। प्राक्कलन के साथ योजना की उपयोगिता/सार्थकता, सरकारी भूमि की उपलब्धता आदि के प्रतिवेदन के साथ प्राक्कलन प्राप्त होते ही उसे पुनः संबंधित विधान मंडल सदस्य को अवलोकन हेतु प्राप्त कराया जायेगा। विधान मंडल सदस्य के द्वारा प्राक्कलन एवं संबंधित प्रतिवेदन प्राप्ति के एक पक्ष के अंदर योजनाओं की प्राथमिकता सूची दी जायेगी जिसे जिला चयन समिति के स्वीकृति/अनुमोदन हेतु उपस्थापित किया जायेगा।

11) कार्य को तभी स्वीकृत एवं कार्यान्वित कराया जायेगा जब जिला चयन समिति द्वारा कार्यान्वयन पर सहमति दे दी गई हो एवं सरकारी भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित हो गयी हो।

## परियोजनाओं की स्वीकृति

11. मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत चयनित योजनाओं की प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति हेतु निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे :–

1) **प्रशासनिक स्वीकृतिः**

| सक्षम पदाधिकारी | प्रशासनिक स्वीकृति हेतु अधिसीमा |
|---|---|
| प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग | दो करोड़ से उपर |
| क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी | पचास लाख रुपये से उपर दो करोड़ तक |
| जिला योजना पदाधिकारी | दस लाख से उपर पचास लाख तक |
| सहायक योजना पदाधिकारी | दस लाख तक |

2) **तकनीकी स्वीकृतिः**

| सक्षम पदाधिकारी | तकनीकी स्वीकृति हेतु अधिसीमा |
|---|---|
| मुख्य अभियंता | दो करोड़ से उपर |
| अधीक्षण अभियंता | पचास लाख रुपये से उपर दो करोड़ तक |
| कार्यपालक अभियंता | दस लाख से उपर पचास लाख तक |
| सहायक अभियंता | दस लाख तक |

## योजनाओं पर प्रशासनिक/तकनीकी स्वीकृति हेतु समय सीमा

12. योजना प्रस्ताव की प्राप्ति से निम्न निर्धारित समय सीमा के अन्दर प्रशासनिक/तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाएगीः–

| प्रशासनिक/तकनीकी स्वीकृति हेतु सक्षम पदाधिकारी | प्रशासनिक/तकनीकी स्वीकृति देने हेतु निर्धारित समय सीमा |
|---|---|
| प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग | पन्द्रह कार्यकारी दिवस |
| क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी | दस कार्यकारी दिवस |

| प्रशासनिक/तकनीकी स्वीकृति हेतु सक्षम पदाधिकारी | प्रशासनिक/तकनीकी स्वीकृति देने हेतु निर्धारित समय सीमा |
|---|---|
| जिला योजना पदाधिकारी | सात कार्यकारी दिवस |
| सहायक योजना पदाधिकारी | पाँच कार्यकारी दिवस |
| मुख्य अभियंता | पन्द्रह कार्यकारी दिवस |
| अधीक्षण अभियंता | दस कार्यकारी दिवस |
| कार्यपालक अभियंता | सात कार्यकारी दिवस |
| सहायक अभियंता | पाँच कार्यकारी दिवस |

13. <u>विशेषताएँ</u> :–

1) स्वीकृति पत्र/आदेश में कार्यान्वयन अभिकरण के लिए कार्य समापन की समय–सीमा निर्धारित की जाएगी। कार्य समापन के लिए समय–सीमा सामान्य तौर पर एक वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि किसी विशेष मामले में, जहां कार्यान्वयन समय एक वर्ष की सीमा को पार कर जाता है, स्वीकृत पत्र/आदेश में उसके लिए विशेष कारण शामिल किए जाएंगे। स्वीकृति पत्र/आदेश में राज्य सरकार की क्रियाविधि के अनुसार निर्धारित समय में कार्य पूर्ण करने में असफल रहने पर कार्यान्वयन अभिकरण के विरूद्ध उचित कार्रवाई की शर्त भी शामिल की जाएगी। संबद्ध विधान मंडल सदस्य को भी स्वीकृति पत्र/आदेश की प्रतिलिपि भेजी जाएगी।

2) विधान मंडल सदस्य द्वारा अनुशंसित और सक्षम स्तर से प्रशासनिक स्वीकृति किए गए कार्य को केवल जिला चयन समिति की अनुमति से ही रद्द किया जा सकता है, बशर्ते कार्य का कार्यान्वयन प्रारम्भ नहीं हुआ है तथा उसे रद्द करने के परिणामस्वरूप सरकार पर किसी भी प्रकार की संविदात्मक वित्तीय देयता/लागत का भार नहीं पड़ता है। यदि किसी अनिवार्य कारण से, चालू कार्य को रोकना/स्थगित करना अत्यावश्यक हो जाता है तो राज्य सरकार एवं संबद्ध विधान मंडल सदस्य को सूचना देते हुए मामले को पूर्ण औचित्य के साथ राज्य सरकार को भेज दिया जाना चाहिए।

3) योजना के अंतर्गत जैसे ही कार्य पूरा होता है उसे आम जनता के उपयोग के लिए खोल दिया जाना चाहिए। लोगों की अधिक जानकारी के लिए मु.क्षे.वि.यो. के अंतर्गत सभी कार्यों के लिए मुख्यमंत्री स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, कार्य की लागत, उसके शुरू होने, पूर्णता तिथि, कार्य को अनुशंसित करने वाले विधान मंडल सदस्य के नाम के साथ एक पट्टिका (पत्थर/धातु) स्थायी रूप से लगाई जानी चाहिए।

4) जिला योजना पदाधिकारी के कार्यालय में मु.क्षे.वि.यो. निधियों से पूर्ण किए गए और चालू कार्यों की सूची भी लगाई जानी चाहिए और आम जनता को सूचनार्थ वेबसाइट पर भी डाली जानी चाहिए।

5) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में दिए गए प्रावधानों और उसमें बनाए गए नियमों के अनुसार सभी नागरिकों को मु.क्षे.वि.यो. के किसी भी पक्ष और उसके अंतर्गत अनुशंसित/स्वीकृति/क्रियान्वित कार्यों के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है।

6) एक विशेष वर्ष में निधियों के लिए विधान परिषद सदस्यों की पात्रता का निर्धारण निम्न रूप से किया गया है:–

| वित्तीय वर्ष में विधान परिषद सदस्य के रूप में अवधि | पात्रता |
|---|---|
| 3 माह से कम | शून्य |
| 9 माह तक | वार्षिक आवंटन का 50% |
| 9 माह से अधिक | वार्षिक आवंटन का 100% |

## बेंचमार्क सर्वेक्षण /मॉनीटरिंग

14. किसी राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त संस्थान को इस कार्य हेतु पहचान की जायेगी और कार्यक्रम की मॉनीटरिंग व मध्यावधि मूल्यांकन करने के लिए बेंचमार्क सर्वेक्षण कराया जायेगा। प्रथम चरण में वर्तमान सुविधाओं/संसाधनों का सर्वेक्षण कराया जायेगा जिससे भविष्य में किए जाने वाले मूल्यांकनों हतु बेंचमार्क उपलब्ध होगा। एक एम0आई0एस0 भी तैयार की जायेगी जिसमें प्रत्येक तिमाही में योजनाओं की वास्तविक और वित्तीय प्रगति इंगित की जाएगी। तिमाही के आधार पर प्रत्येक परियोजना हेतु संगत आउटपुट सूचकों का उल्लेख किया जायेगा जिससे उसके आधार पर प्रगति को मॉनिटर किया जा सके।

## वेबसाईट का निर्माण

15. प्रत्येक जिला के लिए एक बेबसाइट तैयार किया जायेगा, जिसपर जिले की पृष्ठभूमि की सूचना, जिला योजना, बेंचमार्क सर्वेक्षण के परिणाम और तैयार की गई एम0आई0एस0 की जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। योजनाओं की प्रगति को दर्शाने के लिए बेवसाईट पाक्षिक रुप से अद्यतन किया जायेगा।

1) प्रत्येक जिला को परियोजना शुरू करने के पहले तथा परियोजना के पूरा होने के पश्चात स्थिति को दर्शाने तथा संबंधित जिला के अर्थ व्यवस्था में सुधार लाने में इस कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए संगत दृश्य रिकार्डिंग (फोटो/विडियोग्राफी) कराया जायेगा जो योजना अभिलेखों के साथ संधारित होगी। इसे एम0एम0एस0 के माध्यम से योजना एवं विकास विभाग को प्राप्त कराया जायेगा।

2) योजना के कार्यान्वयन में अभियंताओं के साथ–साथ संवेदकों को भी प्रबंधन एवं तकनीकी उन्नयन के लिए आवश्यक प्रशिक्षण का प्रावधान किया जायेगा, जिसमें प्रशिक्षण, सेमिनार, कार्यशाला, अध्ययन दौरा आदि शामिल होंगे।

3) योजनाओं में नयी तकनीक का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित किये जाने का प्रावधान किया जायेगा।

4) आउटसोर्सिंग के आधार पर उच्चतर एवं विशिष्ट तकनीक एवं प्रबंधन संबंधी सेवाओं/ विशेषज्ञों की सेवा प्राप्त करने, कन्सलटेंट की सेवा प्राप्त करने एवं लेखा संधारण हेतु चार्टर्ड एकाउन्टेंट/अंकेक्षकों की सेवा प्राप्त करने का प्रावधान किया जायेगा।

16. <u>कार्यान्वयन अभिकरणों की भूमिका</u>:–

1) यह कार्यान्वयन अभिकरण के अधिकारियों की जिम्मेवारी होगी कि कार्य स्थलों का नियमित दौरा करें और सुनिश्चित करें कि कार्य, निर्धारित कार्यविधि और विनिर्देशों और समय अनुसूची के अनुसार संतोषजनक प्रगति कर रहें हैं।

2) कार्यान्वयन अभिकरण प्रत्येक कार्य की वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति से जिला योजना पदाधिकारी को प्रत्येक माह अवगत कराएंगे। इसकी एक प्रति संबद्ध राज्य विभाग को भी प्रस्तुत की जाएगी। कार्यान्वयन अभिकरण सॉफ्ट फॉरमेट में भी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

3) कार्यान्वयन अभिकरण, कार्य समाप्त होने के एक माह के अंदर जिला योजना पदाधिकारी को समापन रिपोर्ट/प्रमाणपत्र और उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।

17. <u>दिशा–निर्देशों का लागू किया जाना</u>:–

1) यह दिशा–निर्देश तत्काल रूप से प्रभावी होंगे। मु.क्षे.वि.यो. संबंधी यह दिशा–निर्देश, वर्त्तमान दिशा–निर्देशों (विभागीय संकल्प संख्या 1458 दिनांक 04.05.2011 द्वारा निर्गत) और उनके अन्तर्गत जारी किए गये अन्य निर्देशों को संशोधित करता है।

2) मु.क्षे.वि.यो. के दिशा–निर्देशों से संबंधित स्पष्टीकरण अथवा इन दिशा–निर्देशों में दिये गये प्रावधानों की व्याख्या योजना एवं विकास विभाग के समक्ष रखी जायेगी। इस विषय पर विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

3) मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के उपर्युक्त दिशा–निर्देश के कण्डिकाओं में वर्णित किसी प्रावधान को संशोधित/शिथिल करने के साथ किसी अन्य कण्डिका को सम्मिलित किया जाना मुख्यमंत्री के आदेश से किया जा सकेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(विजय प्रकाश)
प्रधान सचिव

ज्ञापांकः यो03/मु0क्षे0वि0यो0–1/2010–1875/यो0वि0,पटना, दिनांक 16 मई, 2012
प्रतिलिपिः मुख्य सचिव, बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/माननीय मुख्य मंत्री के सचिव, बिहार/सभी प्रधान सचिव/सचिव, बिहार/सभी विभागाध्यक्ष, बिहार/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, बिहार/सभी उप विकास आयुक्त, बिहार/सभी जिला योजना पदाधिकारी, बिहार/सभी सहायक योजना पदाधिकारी, बिहार/सभी जिला पंचायती राज पदाधिकारी, बिहार/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.5.12

प्रधान सचिव

ज्ञापांकः यो03/मु0क्षे0वि0यो0–1/2010–1875/यो0वि0,पटना, दिनांक 16 मई, 2012
प्रतिलिपिः मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, विश्वेश्वरैया भवन, पटना/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांकः यो03/मु0क्षे0वि0यो0–1/2010–1875/यो0वि0,पटना, दिनांक 16 मई, 2012
प्रतिलिपिः प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट प्रशाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को ई–गजट में प्रकाशनार्थ सी0डी0 एवं दो हार्ड कॉपी के साथ प्रेषित। अनुरोध है कि इसकी प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

16.5.12

प्रधान सचिव